P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-11* July- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

महिला सशक्तिकरण और शिक्षा

कमलेश भारद्वाज
एसोसिएट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
एस0 डी0 पी0 जी0 कालेज,
गाजियाबाद

सारांश

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिला द्वारा शक्ति और संसाधनों की प्राप्ति से है जिससे कि वे अपने विषय में महत्वूपर्ण निर्णय स्वयं ले सके एवं दूसरों के द्वारा लिए गए गलत निर्णयों का विरोध कर सके। शिक्षा महिला सशक्तिकरण के लिए प्रथम और मूलभूत साधन है। प्रस्तुत लेख में महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है तथा महिला शिक्षा के मार्ग में जो बाधाएँ है उनको दर्शाने का प्रयत्न किया गया है।

मुख्य शब्द : सशक्तिकरण, सहसम्बन्ध, प्रजातान्त्रिक एवं मूलभूत।

प्रस्तावना

विश्व की लगभग सभी अन्य सभ्यताओं के इतिहास का अध्ययन करते समय हम जितना प्राचीन काल की ओर जाते हैं, महिला का समाज में उतना ही असन्तोषजनक स्थान पाते हैं। किन्तु भारतीय सभ्यता इस दृष्टि से अनोखी है। क्योंकि इसमें इस सामान्य नियम के अपवाद के रूप में दर्शन होते हैं। जितना ही प्राचीन काल में हम जाते हैं वैदिक समाज में अनेक दृष्टियों से महिला का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण दृष्टिगत होता है। सुदीर्घ काल तक भारत में शिक्षा से तात्पर्य वैदिक शिक्षा से था। तथा जो यज्ञों में सम्मिलित होते थे उन्हें बिना किसी लैगिंक भेद के वैदिक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी।'' [1]

वैदिक युग में महिलाएँ भी पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त करती थी, याज्ञिक कर्मकाण्ड में पुरूषों को सहयोग प्रदान करती थी, और समाज मे उनका महत्वपूर्ण एवं समुचित स्थान था। ''वैदिक युग में महिला शिक्षा अपनी उच्चतम सीमा पर थी, महिलाएँ पुरूषों के समकक्ष बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करती थी। बुद्धि और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थी।'' [2]

यह सर्वविदित है कि हमारे देश की जनसंख्या का आधा भाग महिलाएँ हैं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया गया है। गॉधी जी ने महिलाओं की भूमिका को पुरूषों के पूरक के रूप में देखकर कहा था ''कि महिला एवं पुरूष विकास रूपी गाड़ी के दो पहिये हैं। अतः किसी भी समाज की सम्पन्नता और प्रगति दोनों की असमानता पर नहीं अपितु समानता और सहयोग पर निर्भर करती है।'' [3]

प्रेजर ओर सेन के अनुसार – ''सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसमे कोई शक्तिहीन अपने जीवन के पहलुओं पर बेहतर नियन्त्रण पा लेता है। इसके अन्तर्गत भौतिक, बौद्धिक, मानवीय, आर्थिक, विश्वास, मूल्य और मनोवृत्ति सभी षामिल है।'' [4]

सशक्तिकरण एक सामाजिक प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को अपने जीवन पर अधिकार प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। संविधान के द्वारा बराबर का दर्जा मिलने के बाद भी उनके साथ भेदभाव होता है। कार्य करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने पर भी परम्परा और संस्कृति के नाम पर उनकी आवाज दबा दी जाती है। सशक्तिकरण की अवधारणा समय के साथ–साथ विभिन्न स्तरों से होकर गुजरी है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक के प्रारम्भिक वर्षो में सशक्तिकरण को महिलाओं की प्रस्थिति के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया जाता था जिसका अर्थ पुरूषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति को ऊॅचा उठाने का प्रयास रहा है।

''शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है। यह माना जाता है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका की अनुभूति करा सकती है। शिक्षा के आधार पर महिला में दक्षता, कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षित महिला न केवल स्वयं लाभान्वित होती है, वरन उससे भावी पीढ़ी भी लाभान्वित होती है। शिक्षा किसी भी प्रकार के कौशल की प्राप्ति एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के विकास के लिए पूर्णतया आवश्यक है। महिला की शिक्षा से उसका शोषण रोकने में सहायता मिलेगी। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण काएक बड़ा

मानक है। शिक्षा का निर्णय लेने की क्षमता सेधनात्मक एवं सार्थक सहसम्बन्ध है। न्यून शैक्षिक स्तर का सीधा प्रभाव है इस मानव पूँजी (महिला) का निम्न स्तरीय विकास, कुशलता का निम्न स्तर तथा श्रम बाजार में न्यून भागीदारी। महिलाओं की वास्तविक स्थिति से व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है।'' [5]

शिक्षा जीवन के दरवाजे की कुंजी है जिसका लक्ष्य ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना तथा अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करना है। मकोल व अन्य के अनुसार ''किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिए महिला शिक्षा को विशेष महत्व है। किसी भी शिक्षित समाज की वास्तविक स्थिति जानने का तरीका है कि हम यह जानने का प्रयास करें कि समाज में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति कैसी है, उनको क्या–क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं और उनकी मूलभूत संसाधनों तक कितनी पहुँच है तथा राजनीतिक व सामाजिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी कितनी सहभागिता है ? देखा जाय तो महिलाओं की शिक्षा विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है जिसने महिलाओं का स्तर और उनकी समाज में भूमिका को उठाने में सहायता की है।'' [6]

शिक्षा किसी भी व्यक्ति के सुखद जीवन की मजबूत आधारशिला तैयार करती है। शिक्षा के द्वारा एक महिला असहाय व अबला से सशक्त और सबला बनती है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है महिलाओं में छिपी हुई उन शक्तियों, गुणों तथा प्रतिभाओं को विकसित करना, जिनको व्यवहार में लाकर व अपने विकास की ओर स्वयं कदम बढ़ा सके यह कार्य केवल शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है। विश्व विकास रिपोर्ट 1993–99 स्पष्ट करती है कि महिला शिक्षा आर्थिक विकास में सहायक होने के साथ ही प्रजननता को कम करके, बच्चों के उचित पालन पोषण तथा माता–पिता एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य में सहायक होती है।

सामान्य तौर पर शिक्षा आर्थिक आत्मनिर्भरता में सहायक होती है। इससे महिलाओं का सामाजिक स्तर ऊपर उठता है तथा उनका सशक्तिकरण होता है। आर्थिक स्वायत्तता से निर्भरता एवं पुरूष प्रधानता तथा वर्चस्व ध्वस्त होने से न सिर्फ महिला व्यक्तिगत स्तर पर लाभान्वित होगी अपितु सामाजिक स्तर पर ऐसे परिवर्तन घटित होगें कि पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होकर रह जायेगी और जगह एक नयी समाजवादी व्यवस्था उभर कर सामने आयेगी जिसमें महिला और पुरूष दोनों का समान महत्व होगा।

महिलाओं की दयनीय दशा के लिए अशिक्षा मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं जैसे–जैसे शिक्षा का विस्तार हो रहा है महिलाओं की प्रस्थिति भी परिवर्तित हो रही है। शिक्षा ने महिलाओं के अनेक क्षेत्रों में मार्ग प्रशस्त किये हैं। शिक्षा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती हैं। शिक्षा का प्रसार होने से महिलाएँ परम्परागत बंधनों, पुराने विचारों व अन्धविश्वासों से मुक्त हो रही है। वे अपने कार्यो को अपने विवेक से करने की सामर्थ्य रखती हैं। आधुनिक शिक्षित महिला पुरूष की दासता को स्वीकार नहीं करती। वे पुरूषों के समान अपने अधिकारों के पक्ष में है।

प्रारम्भिक काल में महिला शिक्षा का उपयोग महिला को एक पत्नी व माता के परम्परागत कर्तव्यों के और अधिक कुशलता पूर्वक करने के योग्य बनाना था, न कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास प्रक्रिया में उनकी अधिक दक्ष व कुशल भागीदारी हेतु उन्हें सक्षम करना था। धीरे–धीरे स्थिति में परिवर्तन आया तथा विशेष रूप से स्वतन्त्रता के बाद महिला शिक्षा के महत्व को उसके विविध व विस्तृत आयामों के सन्दर्भ में देखा जाने लगा और इन्हीं विविध आयामों में शामिल हैं, शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की समानता व सशक्तिकरण के अर्थपूर्ण प्रयासों की सम्भावना। आज स्पष्टतः यह स्वीकार किया जाने लगा है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला, समाज में अपनी सशक्त, समान एवं उपयोगी भूमिका दर्ज कर सकती है।

भारत में स्वतन्त्रता के बाद संविधान के द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकारों ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में बहुविध भूमिका निर्वाह करने के लिए महिलाओं का आहवान करके उनकी स्थिति सुधारने हेतु नये–नये आयाम प्रस्तुत किये। संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीतिनिर्देषक सिद्धान्त घोषित किया गया है। इसमें कहा गया, राज्य इस सिद्धान्त के कार्यान्वित किये जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष आयु पूर्ण नहीं कर लेगें, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

आज महिलाओं के मानवीय अधिकारों तथा समाजों व राष्ट्रों के विकास, दोनों ही सन्दर्भो में महिला शिक्षा की अनिवार्यता को स्वीकार किया जाने लगा है। यही कारण है कि आज भारत मे लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा प्रमुख नीतिविषयक तत्व बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में न केवल महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों की समस्याओं की चर्चा की गयी है बल्कि साथ ही शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का मुददा भी उठाया गया है। इस हेतु लैंगिंग विषमताओं की समाप्ति को भी मुख्य प्राथमिकता देने की इस शिक्षा नीति में चर्चा है। किसी राष्ट्र का विकास तभी सम्भव है जबकि उस समाज में महिलाओं व पुरूषों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त हों। इन अधिकारों व अवसरों की कानूनी व सैद्धान्तिक मान्यता के साथ–साथ समाज में व्यवहारिक स्वीकार्यता भी अनिवार्य है। महिलाओं की स्थिति की जांच करने से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि यद्यपि कानून व सैद्धान्तिक सन्दर्भ में उनके अधिकारों व अवसरों में कोई कमी नहीं हैं परन्तु व्यवहारिक स्वीकार्यता के सन्दर्भ मं अभी अभीष्ट लक्ष्य तक हम नहीं पहुँच पाये हैं।

''संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब पूरे विश्व के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किये तब उसमें समावेशी शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। शिक्षा से वंचित वर्गों में पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा महिलओं का है। पूरे विश्व में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का स्तर आधे से भी कम है। भारत में स्वतन्त्रता के समय यह

स्थिति अत्यन्त विकट थी। पुरूषों में सारक्षता की दर 20 प्रतिशत थी वहीं महिलाओं की साक्षरता केवल 8.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जहॉ पुरूषों की साक्षरता दर 82 प्रतिशत थी वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 63.5 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखण्ड आदि राज्यों में यह 55 प्रतिशत से भी कम है। महिला साक्षरता के हिसाब से बिहार सबसे पिछड़ा प्रदेश है जहॉ केवल 51 प्रतिशत महिलाऍ साक्षर हैं। इस परिस्थति से स्पष्ट होता है स्वतन्त्रता के 70 वर्षो के बाद भी महिला शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करना आवश्यक है।'' [7]

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए योजनाएँ

केन्द्र सरकार ने बालिका शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण को लेकर हाल में अनेक योजनाएं शुरू की है।। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से निश्चित रूप से बालिकाओं को हौसला मिल रहा हैं। इसमें प्रमुख रूप से बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ योजना है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। 100 करोड़ रूपये के शुरूआती कोश के साथ यह योजना शुरू में देशभर के सौ जिलों में षुरू की गयी। खासकर उन जिलों में जहॉ लिंगानुपात बेहद कम थ। बाद में इसका विस्तार 61 अन्य जिलों में भी किया गया है। इस योजना के तारतम्य में हर लड़की के लिए पैसे बचाने की और लघु बचत योजना सुकन्या समृद्धि अकांउट योजना शुरू की। बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यकता होने पर धन की उपलब्धता जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ ही घरेलू बचत का प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह पहल की गयी। यह योजना माता पिता को अपनी लड़की की बेहतर शिक्षा और भविश्य के लिए पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

साथ ही केन्द्र की ओर से शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,479 उपखण्डों में दसवीं और बारवीं कक्षा की छात्राओं के लिए 100 बिस्तरों वाले छात्रावासों की स्थापना की है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की 14 से 18 साल की ऐसी बालिकाओं को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करना है जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं।

भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय योजना का शुभ आरम्भ किया गया था। कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय योजना की शुरूआत पहले दो वर्ष तक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान, बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम व महिला सामख्या योजना के साथ सामंजस्य बिठाते हुए शुरू की गयी थी। बाद में इसे सर्वशिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया गया।

उद्देश्य

महिला शिक्षा के महत्व को समझना

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण संघटक और हस्तक्षेप है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य है कि किस प्रकार शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक है या शिक्षा का क्या महत्व है। शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं में तेजी से बदलती हुई विश्व की वास्तविकताओं को समझने के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक कौशल प्राप्त होगा जो उन्हें अपमान पूर्ण और मानवीय स्थितियों का विरोध करने का विश्वास और ताकत प्रदान करेगा।

शिक्षा एवं सशक्तिकरण के सहसम्बन्ध को ज्ञात करना

प्रस्तुत अध्ययन मे यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा और सशक्तिकरण में क्या सहसम्बन्ध है ? शिक्षा महिलाओं को पितृसत्तात्मक ज्ञान, नियमों, मूल्यों, व्यवहार पद्धतियों को चुनौती देने में मदद करती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सामूहिक कार्यवाही और चिन्तन की एक अनवरत जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

महिलाओं की परिस्थिति में हो रहे परिवर्तनों पर शिक्षा के प्रभाव के समझना

अध्ययन मे यह जानने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं की परिवर्तित प्रस्थिति पर शिक्षा का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है ? सशक्तिकरण में शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण हैं। बिना शिक्षा के महिलाओं की प्रस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन असम्भव है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता आयी है, वे अपने बारे में सोचने लगी है, उन्होने महसूस किया है कि घर से बाहर भी जीवन है, महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है, उनके व्यक्तित्व में निखार आया है। महिलाऍ न केवल सामान्य शिक्षा, विश्वविद्यालय तथा कालेजों मे ही जा रही है बल्कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रही है, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर रही हैं, वायु सेना और नौ सेना में अपनी सेवा प्रदान कर रही है।

महिला शिक्षा के मार्ग में आ रही बाधाओं को समझना

शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं का सशक्तिकरण सम्भव है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन मे यह समझने का प्रयास किया गया कि वे कौन–कौन सी बाधाऍ है जिनके कारण महिलाऍ शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। अध्ययन में पाया गया है लैंगिंक भेदभाव, पारिवारिक परम्पराएं, परदाप्रथा,बाल विवाह, निर्धनता, सामाजिक, आर्थिक पहलू, घर से विद्यालय की दूरी आदि महिला शिक्षा में प्रमुख बाधाऍ है।

महिला शिक्षा की बाधाओं को दूर करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा मे आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न सुझाव प्रस्तुत करना है। शिक्षा के अभाव में महिला सशक्तिकरण असम्भव है। अतः उन बाधाओं को जो महिलाओं की शिक्षा प्राप्ति में बाधक हैं कैसे दूर किया जाये इस विषय पर अध्ययन मे प्रकाश डाला गया है।

महिला शिक्षा में आने वाली बाधाएं

स्वतन्त्रता के बाद से केन्द्र और राज्य सरकारें विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं को शिक्षा की धारा में शामिल करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। वर्ष 2001 में समग्र साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत थी तथा पुरूषों और

महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 75.85 प्रतिशत तथा 54. 16 प्रतिशत थी। तथा 2011 में समग्र साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत थी तथा पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 82.14 प्रतिशत तथा 65.46 प्रतिशत थी। यद्यपि पिछले दशकों से महिला साक्षरता में अधिकतम सुधार हुआ है फिर भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा भाग आज भी शिक्षा से वंचित है। महिला शिक्षा के मार्ग में निम्नलिखित बाधाएँ हैं –

शिक्षा में महिला और पुरूष के बीच भेदभाव

भारत में शिक्षा में महिला और पुरूष के बीच भेदभाव देखने को मिलता है। स्कूलों में लड़कियों की अपेक्षा लड़के ज्यादा प्रवेश लेते हैं और एक निश्चित स्तर तक अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। लड़कियॉ घर पर अपनी माताओं का हाथ बटाती हैं, बाहर काम पर जाती हैं या अपने छोटे भाई बहनों की रक्षा करती हैं। विज्ञान और इंजीनियरी में लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक प्रवेश लेते हैं और लड़कियाँ निचले स्तर के पाठ्यक्रमों तथा कालेजों में जाती हैं विज्ञान, टैक्नोलोजी तथा इंजीनियरी शिक्षा के क्षेत्र में लड़के तथा लड़कियों के बीच असमान वितरण है, किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि उनको अभिरूचियों में कोई अन्तर है।

बाल विवाह

अभिभावक बेटियों की पढ़ाई को विवाह पर होने वाले खर्च के साथ जोड़ते हैं। इसी कारण वे अपनी लड़कियों को उसी स्तर तक पढ़ाते हैं जहॉ वे उनके लिए सुयोग्य वर ढूँढ सकें। छोटी आयु में विवाह होने के कारण लड़कियों को पढ़ाई के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते।

निर्धनता

निर्धनता लड़कियों को शिक्षित होने के अवसरों में स्पष्ट रूप से बाधा डालती है। अध्ययन दर्शातें है कि निर्धन परिवारों में लड़कियाँ गृहकार्य पूरा करती है। छोटे बहन भाईयों की देखभाल करती हैं और कृशि कार्यो में अपने माता पिता का हाथ बटांती हैं। उनके पास विद्यालय जानें के लिए समय नहीं बचता। लड़कों के कार्य से भिन्न लड़कियों के कार्य को महिलाओं द्वारा किये जाने वाला कार्य समझा जाता है।

सामाजिक आर्थिक पहलू

माता पिता की बेटे और बेटियों के समाजीकरण में भेदभाव की मनोवृत्ति दोनों को भूमिका और दायित्व निर्धारित करने में प्रकट होती है। दिल्ली के विषिश्ट विद्यालय में प्रवेश के इच्छुक अभिभावकों पर किये गये एक अध्ययन से पता लगता है कि उन्हे अपने बेटों और बेटियों से भिन्न–भिन्न अपेक्षाएँ होती है। बेटों से प्रायः घर से बाहर के कार्य करने के लिए कहा जाता है जबकि बेटियों से रसोई घर मे हाथ बटवाने की आशा की जाती है। माता पिता बेटे की पढ़ाई को भविष्य में अच्छे रोजगार अवसरों के लिए एक निवेश मानते हैं जिसके द्वारा उनकी वृद्धावस्था सुरक्षित हो जायेगी। बेटी की पढ़ाई पर इस तरह की बातों का ध्यान नहीं दिया जाता इसलिए उसे प्राथमिकता नहीं दी जाती।

घर से विद्यालय की दूरी

अभी भी ऐसे असंख्य बच्चें है जिनके लिए प्राथमिक विद्यालय तक पहुॅचना आसान नहीं है। ये समस्या लड़कियों के मामले मे उच्चतर प्राथमिक स्तर पर और भी गम्भीर हो जाती है। सर्वेक्षण से पता लगता है कि केवल 37 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को निवास स्थान के नजदीक उच्चतर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है। इसमें से तीन किलोमीटर की सीमा में 48 प्रतिशत बच्चों को एक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। 15 प्रतिशत आबादी 3 किलोमीटर से अधिक दूर है। जिन पांच राज्यों में प्रोब सर्वेक्षण हुआ था वहाँ पाया गया कि जिन गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं वहॉ लड़कियॉ प्रायः कक्षा पांच के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। इसका कारण यह है कि माता पिता अपनी लड़कियों को पढ़ाई के लिए दूसरे गांवों में भेजना पसंद नहीं करते।

अध्यापिकाओं की उपस्थिति तथा बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता

विद्यालय में अध्यापिकाओं की उपस्थिति लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने में एक निर्णायक निवेश के रूप में कार्य करती हैं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहाँ महिला साक्षरता दर कम है वहॉ अध्यापिकाओं का प्रतिशत भी बहुंत कम है। प्राथमिक स्तर में वहॉ क्रमशः 25.49 प्रतिशत और 19.84 प्रतिशत अध्यापिकाएँ है। यह केरल के विपरीत है जहॉ उच्चतम साक्षरता दर के साथ–साथ प्राथमिक स्तर पर अध्यापिकाओं का प्रतिशत भी उच्च है। प्रोबा सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के अनेक भागों में अभिभावक चाहते हैं कि उनकी बेटियों की पढ़ाई के लिए अध्यापिकाएँ होनी चाहिए। विद्यालयों द्वारा लड़कियों को अन्य बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए, जैसे लड़कियों के लिए अलग शौचालय। छठा अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण बताता है कि भारत मे केवल 5.12 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों तथा 17.17 प्रतिशत उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियो के लिए अलग शौचालय है।

''हावर्ड विश्वविद्यालय विश्व आर्थिक मंच तथा लंदन बिजनेस स्कूल द्वारा किये गये सर्वेक्षण में दुनियॉ की 60 प्रतिशत जनसंख्या के आंकड़ों को शामिल किया गया। इस सर्वेक्षण में आर्थिक साझेदारी व अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं और पुरूषों के बीच अन्तर को मापने की कोशिश की गयी। इंडेक्स द्वारा जारी 115 देशों की सूची में दुनियॉ का एक भी ऐसा देश नहीं हैं जहॉ इन चारों क्षेत्रों में महिलाओं और पुरूषों में समानता है। सूची में महिला सशक्तिकरण के मामले मे स्वीडन पहले स्थान पर है, जबकि सऊदी अरब सबसे नीचे। अमेरिका को 22 वां स्थान मिला है। फिलीपींस दुनियॉ के उन पॉच देशों में से एक मात्र एशियाई देश है जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिला पुरूष असमानता को समाप्त किया है।'' [8]

शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1996) ने स्पष्ट किया कि समानता का सम्मान करने के लिए शिक्षा जगत में व्याप्त लिंग भेद को समाप्त करना होगा। विश्व शिक्षा रिपोर्ट (1995) में स्पष्ट किया गया कि ''दुनियॉ के निर्धन देशों में महिला एवं बालिकाएँ घर की चार दीवारी में बन्द है। अशिक्षित मॉ अशिक्षित बालिकाओं को जन्म देती है और उनकी शादी कम उम्र में कर दी जाती है। इससे गरीबी,

अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि तथा शिशु मृत्यु दर में वृद्धि का एक अनन्त चक्र प्रारम्भ होता है।''

अधिकांश मामलों मे यह मान लिया जाता है कि महिला एक अच्छी पत्नी और सेवा निष्ठ माँ बनना है। यदि उसके पास समय है और वह कुछ बनना चाहती है तो वह क्लर्क या अध्यापिका बन सकती है। ऐसी स्थिति में विज्ञान और अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों मे कैरियर बनाने पर समय और निवेश करने में कोई तुक नजर नहीं आती। यदि संसाधनों के निवेश का प्रश्न उठता है तो संसाधन निरन्तर लड़कों की तकनीकी शिक्षा पर लगाये जाते हैं। यदि लड़कों की बहनों की भी वही रूचियॉ है तो वे महिलाओं के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रमों को लेने की ओर चली जाती हैं। इन निर्णयों को लेने के पीछे यह भावना काम करती है कि लड़कियॉ कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही अधिक अच्छा काम कर सकती हैं। अतः निर्धनता, सामाजिक, सांस्कृतिक विसंगतियॉ एवं सामाजिक कुरीतियॉ महिला शिक्षा में बाधक हैं।

सुझाव

महिलाओं की शिक्षा के प्रति उपेक्षा और भेदभाव को एक दिन में ही नहीं बदला जा सकता, लेकिन नागरिक समाज के सहयोग से सरकार की देशभर में शिक्षा स्तर को ऊॅचा उठाने के लिए बडी सावधानी पूर्वक बनायी गयी योजनाओं से स्त्रियों का सशक्तिकरण अवश्य हो सकेगा। इसके लिए महिला शिक्षा मे आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करना होगा।

महिलाओं को शैक्षिक रूप से और मजबूत करना होगा। शिक्षा में लैंगिंक भेदभाव को दूर करना चाहिए तथा बेटे और बेटी की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। महिला शिक्षा के लिए स्कूलों की घर से भौगोलिक दूर का कम किया जाना चाहिए। जनता में महिला शिक्षा, के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्थानीय समाज सुधारकों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रभावशाली भूमिका हो सकती है। इसलिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार को महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। आवासीय कन्या पाठशालाओं की अधिक से अधिक स्थापना की जानी चाहिए। सरकार को निर्धन पिछड़े तथा कमजोर वर्गो में बालिका शिक्षा के प्रति उत्साह जगाने के लिए आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में जहॉ महिलाएँ काम करती हैं बालगृहों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि लड़कियों को स्कूल छोड़कर अपने भाई बहनों की देखभाल के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर घर पर न रूकना पड़े।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। बिना शिक्षा के किसी को भी सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। महिला शिक्षा में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है यदि समाज महिलाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोगी भावना रखकर अपना योग देगा तो शिक्षित महिलाओं में वृद्धि होगी। शिक्षा से ही महिलाओं में आत्म विश्वास, आत्म जागृति एवं अपने अधिकारों तथा सरकार के द्वारा दिये जाने वाले अवसरों की जानकारी हो सकेगी जिससे वे अपने कौशल का विकास कर सकेंगी एवं स्वावलम्बी बनकर अपने महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेकर एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर सकेंगी। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या शिक्षा को प्रमुख वरीयता दी है। प्रदेश सरकार यह प्रयास रहा है कि आधी आबादी को शिक्षा के द्वारा इतना सशक्त बनाया जाये कि वह न केवल स्वयं बल्कि समाज को एक नई दिशा व दशा प्रदान कर सकें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *अलतेकर, डॉ0 अनन्त सदाशिवः ''प्राचीन भारतीय शिक्षण'', नन्द किशोर एण्ड ब्रदर्स, वाराणसी, 1968 पृष्ठ 155 ।*
2. *मिश्र, डॉ0 जयशंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 1992, पृष्ठ 416 दृ।*
3. *भाग्यलक्ष्मी जे0, महिला अधिकारिता बहुत कुछ करना शेष, योजना अगस्त 2008 पृष्ठ – 24 ।*
4. *Rehman, Janab, ' Empowerment of Rural Indian Women,' Kelpeja Publication Delhi, 2010, PP 28-29*
5. *देवपुरा प्रतापभल, 'महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व' कुरूक्षेत्र अंक 5 मार्च 2006 पृष्ठ 5,6, 16–19।*
6. *मकोल नीलम, शर्मा संदीप, सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान, कुरूक्षेत्र सितम्बर 2006 पृष्ठ 53 ।*
7. *कानिटकर मुकुल 'भारत में महिला शिक्षा, समाज व सरकार की भूमिका,' योजना सितम्बर 2016,पृष्ठ 37।*
8. *व्यास डॉ0 मिनाक्षी, नारी चेतना और साामजिक विधान, रोशनी पब्लिकेशन्स, कानपुर 2008 पृष्ठ–78।*
9. *व्यास डॉ0 मिनाक्षी, नारी चेतना और साामजिक विधान, रोशनी पब्लिकेशन्स,कानपुर 2008 पृष्ठ –78।*
10. *वासी तृप्ता, BSWE-003, शिक्षा में महिला विकास की पहल IGNOU, लक्ष्मी प्रिन्ट इंडिया शाहदरा, दिल्ली–32, पृष्ठ – 66 ।*